

## संपादकीय

## सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट-भ्रातियों को दूर करना

भारत के मानवीय सर्वोच्च व्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के मामले में आठ महीनों तक हुई 28 सुनवाईयों के बाद, 5 जूनवारी 2021 को परियोजना के लिए मंजुरी दे दी। व्यायालय ने उत्थ रूप से कहा कि इस संबंध में सभी वैयानिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अनुमोदन दिया गया है। इन मंजुरी के बावजूद भी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ गलत और इसी बयानबाजी का एक अत्यंत तीखा और दिशेयी अभियान जारी रहा। 31 मई 2021 को, दिल्ली के मानवीय उच्च व्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को राष्ट्रीय महत्व की एक आवश्यक परियोजना के रूप में जारी रखते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इसके निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिकाकार्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा, याचिकाकार्ताओं द्वारा यह याचिका किसी खास मकान से दायर की गई है और यह वास्तविक जनहित याचिका नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को रोकने का यह नवीनतम प्रयास है। परियोजना के खिलाफ की गई अन्य कानूनी/राजनीतिक चुनौतियों विपक्ष के द्वारा लगातार चलाए जा रहे भ्रातक अभियान का हिस्सा है, जिसके माध्यम से अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व और गैरव के लिए हो रहे इस निर्माण कार्य में बाहा डालने की कोशिश की जा रही है। संपूर्ण सेंट्रल विस्टा परियोजना में सरकार के 51 मंत्रालयों/विभागों के लिए इस भवन, एक नया सम्मेलन केंद्र, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए आवास आदि शामिल हैं और इस परियोजना को पूरा होने में पांच वर्ष लगेंगे। एन संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवं वन्यू के पुनर्विकास की केवल दो परियोजनाओं की लागत क्रमशः 862 करोड़ और 477 करोड़ पर अब तक निर्णय दिया गया है। इस मामले में परियोजना के खिलाफ किए जा रहे इसे द्वृष्ट्याचार और द्वेषपूर्व बयानबाजी में सबसे दुखद की बात यह थी कि इस पक्ष को पूरी तरह से भ्राता दिया गया कि एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई भरकर का छोड़ दिया गया। नीति संबंधी कमियों से ग्रस्त पिछली सरकार के द्वारा बंधन में रखे गए इस फैसले को वर्तमान सरकार द्वारा कार्यान्वयन कर दिया गया। मौजूदा संसद भवन के भीतर जगह की कमी 2026 के बाद और भी जांची हो जाएगी जब संसद की कमता को बढ़ाने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। भरत की जनसंख्या में वृद्धि को प्रतिबिंधित करने के लिए एन संसद के दोनों सदनों की संख्या में वृद्धि होना चाही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक नए संसद भवन की आवश्यकता के बारे में लिखने के साथ-साथ इस पर बयान भी दिए हैं। 2012 में मानवीय स्ट्रीकर के कार्रवायी की वास्तव में, एक नए संसद भवन के निर्माण को मंजुरी देते हुए शहीर विकास भ्रातालय को लिया था। आज जब यह परियोजना अचानक ही लागू की जा रही है तो लगातार ही किसी पार्टी के नेता सामूहिक रूप से भ्राता की बीमारी से पीड़ित हैं। इस सब में सबसे बड़ी श्राद्धी यह है कि इस पार्टी के नेताओं के पास अपने दावा और दिव्यों के बंगलों को आसानी से स्मारकों में परिवर्तित करने की अपीलकर विसरान तो है, पर यहीं लोग अब जानबूझकर इस समीक्षा सेंट्रल विस्टा परियोजना को मोही भ्राता के रूप में दिखा रहे हैं, जिसकी कुल लगात को नए मोही आवास की लागत के तौर पर दर्शाया जा रहा है। भले ही भ्राता जगीन की लागत के तौर पर दर्शाया जा रहा है। नीति संबंधी कमियों से ग्रस्त पिछली सरकार के द्वारा बंधन में रखे गए इस फैसले को वर्तमान सरकार द्वारा कार्यान्वयन कर दिया गया। मौजूदा संसद भवन के भीतर जगह की कमी 2026 के बाद और भी जांची हो जाएगी जब संसद की कमता को बढ़ाने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। भरत की जनसंख्या में वृद्धि को प्रतिबिंधित करने के लिए एन संसद के दोनों सदनों की संख्या में वृद्धि होना चाही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक नए संसद भवन की आवश्यकता के बारे में लिखने के साथ-साथ इस पर बयान भी दिए हैं। 2012 में मानवीय स्ट्रीकर के कार्रवायी की वास्तव में, एक नए संसद भवन के निर्माण को मंजुरी देते हुए शहीर विकास भ्रातालय को लिया था। आज जब यह परियोजना अचानक ही लागू की जा रही है तो लगातार ही किसी पार्टी के नेता सामूहिक रूप से भ्राता की बीमारी से पीड़ित हैं। इस सब में सबसे बड़ी श्राद्धी यह है कि इस पार्टी के नेताओं के पास अपने दावा और दिव्यों के बंगलों को आसानी से स्मारकों में परिवर्तित करने की अपीलकर विसरान तो है, पर यहीं लोग अब जानबूझकर इस समीक्षा सेंट्रल विस्टा परियोजना को मोही भ्राता के रूप में दिखा रहे हैं, जिसकी कुल लगात को नए मोही आवास की लागत के तौर पर दर्शाया जा रहा है। अब इसके संबंध में इनका दावा की भारी भ्रातकर खर्च कर रही है। अब इसके संबंध में इनका दावा की भारी भ्रातकर खर्च कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के अधिकतम मामलों के बीच ही लगभग 10 लाख वर्ग फुट के एक विधायक भागवास के लिए 900 करोड़ का टेंडर जारी किया।

-हटकी पृष्ठ पुरी

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-